रजिस्ट्री सं॰ डी॰एल॰-33004/96

REGD. NO. D.L.-33004/96

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खंड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं॰ 361] नई दिल्ली, मंगलवार, अक्तूबर 29, 1996/कार्तिक 7, 1918

No. 361] NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 29, 1996/KARTIKA 7, 1918

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय

(शहरी विकास विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 अक्तूबर, 1996

सा.का.नि. 500(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय इंजीनियरी समूह "क" भर्ती नियम, 1954 (सं. का.नि.आ. 1841, तारीख 21 मई, 1954) और केन्द्रीय इंजीनियरी सेवा वर्ग-I भर्ती नियम, 1961 (सं. सा.का.नि. 233, तारीख 10 फरवरी, 1961) को अधिक्रान्त करते हुए, उन बातों के सिवाय जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय (शहरी विकास विभाग), केन्द्रीय इंजीनियरी (सिविल) समूह "क" सेवा नियम, 1996 है,

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **परिभाषाएं**—इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,

(क) "नियत दिन" से वह तारीख अभिप्रेत है जिसको ये नियम प्रवृत्त होते हैं,

(ख) "आयोग" से संघ लोक सेवा आयोग अभिप्रेत है,

(ग) "नियंत्रक प्राधिकारी" से भारत सरकार का शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय अभिप्रेत है,

(घ) "विभागीय प्रोन्नति समिति" से ऐसी समिति अभिप्रेत है, जिसका गठन किसी भी श्रेणी में प्रोन्नति या उसकी पुष्टि पर विचार करने के लिए किया गया है,

(ङ) "ड्यूटी पद" से अनुसूची-1 में सम्मिलित कोई पद अभिप्रेत है,

(च) "सरकार" से भारत सरकार अभिप्रेत है,

(छ) "श्रेणी" से सेवा की श्रेणी अभिप्रेत है,

(ज) "नियमित सेवा" से किसी श्रेणी के संबंध में उस श्रेणी में नियमित नियुक्ति के लिए विहित प्रक्रिया के अनुसार नियमों के अधीन उसके चयन और नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में की गई सेवा की अवधि या अवधियां अभिप्रेत हैं और जिसके अन्तर्गत निम्नलिखित अवधि या अवधियां भी हैं :—

(1) नियम 6 के अधीन नियुक्त किए गए व्यक्तियों के मामलों में उनकी ज्येष्ठता के प्रयोजन के लिए गणना में लिया गया,

(2) जिसके दौरान आफिसर उस श्रेणी में ड्यूटी पद यदि वह छुट्टी पर होने के या अन्यथा किसी कारण से ऐसा पद धारण करने के लिए उपलब्ध रहा होता तो धारण करता।

(झ) "अनुसूची" से इन नियमों से संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है,

(ञ) "अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां" के वही अर्थ होंगे जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 366 के क्रमशः खंड (24) और खंड (25) में उनके लिए समनुदिष्ट है और "अ.पि.व." से अन्य पिछड़ा वर्ग अभिप्रेत है और उसका वही अर्थ होगा तथा वह उसी प्रकार लागू होगा जैसा कि कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/22/93-स्थापन (एस.सी.टी.) तारीख 8 सितम्बर, 1993 में अधिकथित है, और

(ट) "सेवा" से नियम 3 के अधीन गठित केन्द्रीय इंजीनियरी सेवा (सिविल) समूह "क" सेवा अभिप्रेत है।

3. **सेवा का गठन**—अनुसूची-1 से यथाविनिर्दिष्ट सेवा में सम्मिलित सभी ड्यूटी पद केन्द्रीय इंजीनियरी (सिविल) समूह "क" सेवा का गठन करेंगे।

4. **ग्रेड, संख्या और इसका पुनर्विलोकन**—(1) इन नियमों के प्रारंभ होने की तारीख को सेवा के विभिन्न ग्रेडों में सम्मिलित ड्यूटी पद, उनकी संख्या और वेतनमान वे होंगे जैसे कि अनुसूची-1 में विनिर्दिष्ट है।

(2) उपनियम (1) में किसी बात के होते हुए भी सरकार :—

(क) समय-समय पर आदेश द्वारा विभिन्न श्रेणियों में ड्यूटी पदों की संख्या में ऐसी अवधि के लिए जैसी उसमें विनिर्दिष्ट की जाए अस्थायी परिवर्धन या परिवर्तन कर सकेगी,

(ख) आयोग के परामर्श से, सेवा में ऐसे पदों को सम्मिलित कर सकेगी जिन्हें अनुसूची-1 में सम्मिलित पद उनकी हैसियत या वेतनमान के समतुल्य समझे जा सकें या उक्त अनुसूची में सम्मिलित किसी ड्यूटी पद को सेवा से अपवर्जित कर सकेगी।

(ग) आयोग के परामर्श से, खंड (ख) के अधीन सेवा में सम्मिलित ड्यूटी पद पर किसी अधिकारी की अस्थायी रूप से या अधिष्ठायी रूप से नियुक्ति कर सकेगी और सदृश श्रेणी में निरंतर नियमित सेवा को ध्यान में रखते हुए उसकी ज्येष्ठता नियत कर सकेगी।

5. **सेवा के सदस्य**—(1) निम्नलिखित व्यक्ति सेवा के सदस्य होंगे :—

(क) नियम 6 के अधीन ड्यूटी पद पर नियुक्त व्यक्ति, और

(ख) नियम 7 के अधीन ड्यूटी पद पर नियुक्त व्यक्ति ।

(2) उपनियम (1) के खंड (क) के अधीन नियुक्त व्यक्ति, ऐसी नियुक्ति पर अनुसूची-1 के अधीन उसे लागू समुचित श्रेणी में सेवा का सदस्य माना जाएगा।

(3) उपनियम (1) के खंड (ख) के अधीन नियुक्त व्यक्ति ऐसी नियुक्ति की तारीख से अनुसूची-1 के अधीन उसे लागू समुचित श्रेणी में सेवा का सदस्य होगा।

6. **सेवा का आरंभिक गठन** —(1) इन नियमों की प्रारंभ की तारीख को केन्द्रीय इंजीनियरी सेवा, समूह "क" में नियमित आधार पर समूह "क" ड्यूटी पद धारण कर रहे सभी विद्यमान अधिकारी अपनी-अपनी श्रेणियों में सेवा के सदस्य होंगे।

(2) इन नियमों के आरंभ से पूर्व उप नियम (1) में निर्दिष्ट अधिकारियों की नियमित निरन्तर सेवा को सेवा में उनकी प्रोन्नति, पुष्टि और पेंशन के लिए परिवीक्षा, ज्येष्ठता और अर्हक सेवा के प्रयोजन के लिए गणना में लिया जाएगा।

(3) वह सीमा जिस तक नियंत्रण प्राधिकारी इस नियम के उपबंधों के अनुसार सेवा की विभिन्न श्रेणियों की प्राधिकृत नियमित संख्या में पदों को भरने के लिए समर्थ नहीं है तो उन्हें नियम 7 और नियम 8 के उपबंधों के अनुसार भरा जाएगा।

7. **सेवा का भावी अनुरक्षण**—नियम 6 के अधीन आरंभिक गठन के पश्चात् अनुसूची-1 में निर्दिष्ट किसी भी श्रेणी में रिक्त ड्यूटी पद निम्नलिखित रीति से भरे जाएंगे, अर्थात् :—

(i) सहायक कार्यपालक इंजीनियर की श्रेणी में सभी रिक्तियां अनुसूची 3 में शैक्षणिक अर्हता और आयु सीमा के आधार पर आयोग द्वारा संचालित सम्मिलित इंजीनियरी सेवा परीक्षा के परिणाम के आधार पर सीधी भर्ती द्वारा भरी जाएंगी,

(ii) कार्यपालक इंजीनियर और उससे ऊपर की श्रेणियों में सभी रिक्तियां अनुसूची-2 में विनिर्दिष्ट न्यूनतम अर्हक सेवा सहित अगली निचली श्रेणी के अधिकारियों में प्रोन्नति द्वारा भरी जाएंगी।

(iii) (क) सहायक कार्यपालक इंजीनियर से कार्यपालक इंजीनियर के पद और अधीक्षण इंजीनियर (कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी) की अधीक्षण इंजीनियर (चयन श्रेणी) के लिए प्रोन्नति के मामलों के सिवाय प्रोन्नति के लिए अधिकारियों का चयन अनुसूची-4 में यथाविनिर्दिष्ट विभागीय प्रोन्नति समिति द्वारा योग्यता के आधार पर किया जाएगा,

(ख) कार्यपालक इंजीनियर के पद पर पदोन्नति के लिए सहायक कार्यपालक इंजीनियर के चयन उनकी ज्येष्ठता के क्रम में उपयुक्तता के अधीन रहते हुए किया जाएगा,

(ग) अधीक्षण इंजीनियर (कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी) की अधीक्षण इंजीनियर (चयन श्रेणी) के पद पर नियोजन उनकी उपयुक्तता के आधार पर ज्येष्ठता के क्रम में, सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अनुसार उनके सम्पूर्ण कार्य अनुभव और अन्य संबंधित बातों को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा,

(iv) यदि किसी पद पर नियुक्त व्यक्ति का उच्च पद पर पदोन्नति के प्रयोजन के लिए विचार किया जाता है, उस श्रेणी में ज्येष्ठ सभी व्यक्तियों की बाबत भी इस बात के होते हुए भी कि वे विहित पात्रता सेवा पूरी नहीं करते हैं, विचार किया जाएगा, यदि कभी एक वर्ष से अधिक नहीं है और वे अपनी परिवीक्षा की अवधि यदि विहित हो गई है सफलतापूर्वक पूरी कर ली है।

(v) केन्द्रीय इंजीनियरी सेवा (सिविल) समूह "क" और केन्द्रीय इंजीनियरी सेवा (वैद्युत और यांत्रिकी) समूह "क" के सामान्य काडर के पद, मुख्य इंजीनियर और अधीक्षण इंजीनियर के पदों के लिए अपनी-अपनी विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा पैनलित अधिकारियों की नियुक्ति द्वारा भरे जाएंगे।

8. **ड्यूटी पदों को प्रतिनियुक्ति द्वारा भरना**—नियम 7 में किसी बात के होते हुए भी, जहां सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है वहां ऐसे कारणों को लेखबद्ध करते हुए, आयोग के परामर्श से किसी भी श्रेणी में ऐसी अवधि के लिए जो तीन वर्ष से अधिक न हो। जिसका विशेष परिस्थितियों में पांच वर्ष की अवधि तक विस्तार किया जा सकता है जैसा सरकार उचित समझे, प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण द्वारा ड्यूटी पद भरा जाएगा। इस नियम के अधीन सेवा की किसी श्रेणी में नियुक्ति के लिए अर्हता, अनुभव और अर्हक सेवा का प्रत्येक अवसर पर आयोग के परामर्श से सरकार द्वारा विनिश्चय किया जाएगा।

9. **ज्येष्ठता**—(1) नियम 6 के अधीन ड्यूटी पद पर नियुक्त सेवा के सदस्यों की अपेक्षित ज्येष्ठता, इन नियमों के प्रारंभ को तारीख की यथा विद्यमान रूप में होगी :

परन्तु यदि उक्त तारीख को किसी ऐसे सदस्य की ज्येष्ठता विनिर्दिष्ठतया अवधारित नहीं की गई थी, यह इन नियमों के प्रारंभ होने से पूर्व सेवा के सदस्यों को यथा लागू ज्येष्ठता नियतन को विनियमित करने वाले नियमों के आधार पर अवधारित की जाएगी।

(2) नियम 6 के अधीन नियुक्त व्यक्तियों से भिन्न सेवा में भर्ती व्यक्तियों की ज्येष्ठता समय-समय पर इस निमित सरकार द्वारा जारी सामान्य अनुदेशों के अनुसार अवधारित की जाएगी।

(3) ऊपर उपनियम (1) और उपनियम (2) के अधीन न आने वाले मामलों में ज्येष्ठता सरकार द्वारा आयोग के परामर्श से अवधारित की जाएगी।

10. **परिवीक्षा**—(1) प्रत्येक अधिकारी, या तो सीधी भर्ती या पदोन्नति द्वारा सेवा में नियुक्ति पर दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रहेगा :

परन्तु नियंत्रक प्राधिकारी समय-समय पर इस निमित जारी अनुदेशों के अनुसार परिवीक्षा अवधि का विस्तार कर सकता है :

परन्तु यह और कि परिवीक्षा की अवधि के विस्तार के लिए कोई विनिश्चय परिवीक्षा की आरंभिक अवधि की समाप्ति के पश्चात् आठ सप्ताह के भीतर लिया जाएगा और उक्त अवधि के भीतर ऐसा करने के कारणों के साथ संबंधित अधिकारी को लिखित में संसूचित किया जाएगा।

(2) परिवीक्षा की अवधि पर या उसकी किसी विस्तारित अवधि के पूरा होने पर अधिकारी यदि स्थायी नियुक्ति के योग्य माना गया है तो समय-समय पर जारी सरकार के आदेशों के निबंधनों के अनुसार उसकी पुष्टि के लिए विचार किया जाएगा।

(3) यदि, यथास्थिति, परिवीक्षा की अवधि या उसकी किसी विस्तारित अवधि के दौरान सरकार की यह राय है कि कोई अधिकारी स्थायी नियुक्ति के योग्य नहीं है तो सरकार अधिकारी को यथास्थिति सेवा मुक्त कर सकेगी या उसे उसकी नियुक्ति से पूर्व उसके द्वारा धारित पद पर प्रत्यावर्ति कर सकेगी।

(4) सरकार, परिवीक्षा की अवधि या उसकी किसी विस्तारित अवधि के दौरान, किसी अधिकारी से प्रशिक्षण के ऐसे पाठ्यक्रम के करने या ऐसी परीक्षा अथवा परीक्षण (जिसके अन्तर्गत हिन्दी परीक्षा भी सम्मिलित है) उत्तीर्ण करने की अपेक्षा कर सकेगी जैसी सरकार परिवीक्षा को संतोषप्रद पूरा करने के लिए शर्त के रूप में आवश्यक समझे।

(5) परिवीक्षा से संबंधित अन्य मामलों के विषय में, सेवा के सदस्य समय-समय पर इस निमित सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों और अनुदेशों द्वारा शासित होंगे।

11. **सेवा में नियुक्ति**—सेवा में की सभी नियुक्तियां, सेवा की विभिन्न श्रेणियों में ड्यूटी पदों के लिए नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा की जाएंगी।

12. **तैनाती**—सेवा में नियुक्त अधिकारी भारत या विदेश में कहीं भी सेवा करने का दायी होगा।

13. रक्षा सेवाएं या रक्षा से संबंधित पदों पर सेवा करने का दायित्व सेवा में नियुक्त कोई अधिकारी, यदि ऐसा अपेक्षित हो, चार वर्ष से अन्यून अवधि के लिए जिसके अन्तर्गत प्रशिक्षण पर बिताई गई अवधि भी है, यदि कोई है, किसी रक्षा सेवा या भारत की रक्षा से संबंधित पद पर सेवा करने का दायी होगा।

2654 GI/96-1B

2

परन्तु ऐसे अधिकारी से,—

(i) सेवा में नियुक्ति की तारीख से दस वर्ष की समाप्ति के पश्चात् या सेवा में उसके सम्मिलित होने की तारीख से यथापूर्वोक्त सेवा करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी,

(ii) यथापूर्वोक्त सेवा करने के लिए साधारणतया अपेक्षा नहीं की जाएगी यदि उसने चालीस वर्ष की आयु पूरी कर ली है।

14. निरर्हता—वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या,

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

15. **सेवा की अन्य शर्तें**—ऐसे विषयों की बाबत सेवा के सदस्यों की ऐसी शर्तें, जिनके इन नियमों में कोई विनिर्दिष्ट उपबंध नहीं किया गया है वही होंगी जैसा समय-समय पर केन्द्रीय सरकार के समतुल्य रैंक के अधिकारियों को लागू होगी।

16. **शिथिल करने की शक्ति**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

17. **व्यावृत्ति**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची-1

(नियम 3 देखिए)

स्तंभ (3) में दर्शित किए गए पदों में कुछ विभागों में जैसे आय-कर आदि और केन्द्रीय इंजीनियरी (सिविल) समूह "क" काडर में सम्मिलित है, स्वीकृत पद भी सम्मिलित है।

क्र.सं.	ड्यूटी पद और श्रेणी का नाम	पदों की सं.*	वेतनमान
1.	मुख्य इंजीनियर (सिविल)	40	5900-200-6700
2.	अधिक्षण इंजीनियर (सिविल) अकृत्यिक	**	4500-150-5700
3.	अधीक्षण इंजीनियर (सिविल) (कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी)	130@	3700-125-4700-150-5000
4.	कार्यपालक इंजीनियर (सिविल)	494@	3000-100-3500-125-4500
5.	सहायक कार्यपालक इंजीनियर (सिविल)	60	2200-75-2800-द.रो.-100-4000
6.	सहायक कार्यपालक इंजीनियर (सिविल) (छुट्टी आरक्षित)	20	2200-75-2800-द.रो.-100-4000

*1996 में, कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।

@ 4500-150-5700 रु. के वेतनमान में अकृत्यिक चयन श्रेणी पद भी सम्मिलित हैं।

** कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी (श्रेणी चयन) अकृत्यिक है और इस श्रेणी में पदों की अधिकतम संख्या ज्येष्ठ ड्यूटी पदों के पन्द्रह प्रतिशत के बराबर होगी (अर्थात् ज्येष्ठ वेतनमान और सेवा में ऊपर के स्तर पर सभी ड्यूटी पद और चयन श्रेणी (अकृत्यिक) में पदों की अधिकतम संख्या कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी में स्वीकृत पदों की संख्या तक सीमित होगी)।

टिप्पण : मुख्य इंजीनियर के तीन पद और अधीक्षण इंजीनियर के छह पदों केन्द्रीय इंजीनियरी (सिविल) समूह "क" सेवा तथा केन्द्रीय इंजीनियरी वैद्युत और यांत्रिकी समूह "क" सेवा के लिए सामान्य काडर पद है।

अनुसूची-2

[नियम 7(ii) देखिए]

केन्द्रीय इंजीनियरी (सिविल) समूह "क" सेवा की विभिन्न श्रेणियों में सम्मिलित ड्यूटी पदों की प्रोन्नति पर अधिकारियों की नियुक्ति के लिए ठीक निम्न श्रेणी में भर्ती पद्धति, प्रोन्नति क्षेत्र और न्यूनतम अर्हक सेवा

क्र. सं.	ड्यूटी पद और श्रेणी का नाम	भर्ती पद्धति	चयन क्षेत्र, प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा और शैक्षिक अर्हता
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	मुख्य इंजीनियर (सिविल)	प्रोन्नति द्वारा	श्रेणी में आठ वर्ष की नियमित सेवा सहित अधीक्षण इंजीनियर (सिविल) जिसके अन्तर्गत सेवा भी है, यदि कोई अकृत्यिक चयन श्रेणी में की गई थी या सेवा समूह "क" पदों से सत्रह वर्ष की नियमित सेवा जिसमें से चार वर्ष की नियमित सेवा अधीक्षण इंजीनियर (सिविल) की श्रेणी में होनी चाहिए।
2.	अधीक्षण इंजीनियर (सिविल) (अकृत्यिक) (चयन श्रेणी)	संपूर्ण कार्य और अन्य संबंधित मामलों को ध्यान में रखते हुए ज्येष्ठता और और उपयुक्तता के आधार पर नियुक्ति द्वारा	अधीक्षण इंजीनियर (सिविल) (कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी) जो परीक्षा जिसके आधार पर अधिकारी को भर्ती किया गया था के आगामी वर्ष से संगणित वर्ष की पहली जुलाई को समूह "क" सेवा के चौदहवें वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं या सहायक इंजीनियर से प्रोन्नति अधिकारी के मामलों में जो ज्येष्ठ वेतनमान में प्रोन्नति की तारीख से संगणित समूह "क" में नौ वर्ष सेवा कर चुका है।
3.	अधीक्षण इंजीनियर (सिविल) (कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी)	प्रोन्नति द्वारा	श्रेणी में पांच वर्ष की नियमित सेवा सहित कार्यपालक इंजीनियर (सिविल) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय की सिविल इंजीनियरी में डिग्री या समतुल्य।
4.	कार्यपालक इंजीनियर (सिविल)	प्रोन्नति द्वारा	(i) श्रेणी में चार वर्ष की नियमित सेवा सहित सहायक कार्यपालक इंजीनियर (सिविल) से 33¹/₃ प्रतिशत। (ii) श्रेणी में आठ वर्ष की नियमित सेवा सहित सहायक इंजीनियर (सिविल) से 33¹/₃ प्रतिशत और सिविल इंजीनियरी डिग्री या कोई अन्य समतुल्य अर्हता।

(1)	(2)	(3)	(4)
			(iii) श्रेणी में दस वर्ष की नियमित सेवा सहित सहायक इंजीनियर (सिविल) से 33 1/3 प्रतिशत और मान्यताप्राप्त विश्व-विद्यालय या संस्था से वैद्युत या यांत्रिक इंजीनियरी में डिप्लोमा या समतुल्य अर्हता रखने वाला।
5.	सहायक कार्यपालक इंजीनियरी (सिविल)	आयोग द्वारा संचालित इंजीनियरी परीक्षा के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा।	

अनुसूची-3

[नियम 7(1) देखिए]

संघ लोक सेवा आयोग द्वारा संचालित की गई प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर केन्द्रीय इंजीनियरी सेवा (सिविल) समूह "क" के पदों पर सीधी भर्ती के लिए न्यूनतम शैक्षिक अर्हता और आयु सीमा।

(क) अभ्यर्थी के पास

(1) निम्नलिखित से सिविल इंजीनियरी में डिग्री :

(i) केन्द्रीय या राज्य विधान मण्डल के अधिनियम द्वारा भारत में निगमित कोई विश्वविद्यालय, या

(ii) संसद के अधिनियम, द्वारा स्थापित शैक्षिक संस्था या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 के अधीन सम विश्वविद्यालय के रूप में घोषित, या

(2) ऐसी अन्य समतुल्य अर्हता जिसे उक्त परीक्षा में प्रवेश के प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा मान्यता दी गई है या दी जा सकेगी, या

(3) ऐसे विदेशी विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/संस्था से इंजीनियरी में डिग्री/डिप्लोमा और ऐसी शर्तों के अधीन जैसी इस प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा समय-समय पर मान्यताप्राप्त हो सके।

टिप्पण :

(1) असाधारण मामलों में, आयोग उपर्युक्त में से कोई अर्हता न रखने वाले अभ्यर्थी को शैक्षिक रूप से अर्हित मान सकता है परन्तु आयोग का यह समाधान हो कि उसने अन्य संस्थाओं द्वारा संचालित परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है जिनका स्तर आयोग की राय में परीक्षा में उसके प्रवेश को न्यायोचित ठहरता है।

(2) ऐसा अभ्यर्थी जो विदेशी विश्वविद्यालय से जो कि सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त नहीं है डिग्री प्राप्त करके।

(ख) जिस वर्ष परीक्षा संचालित की जा रही है उस वर्ष 1 अगस्त को अभ्यर्थी ने 20 वर्ष की आयु पूरी कर ली है लेकिन 28 वर्ष की आयु पूरी न की हो।

अनुसूची-4

[नियम 7(4) देखिए]

केन्द्रीय इंजीनियरी (सिविल) समूह "क" सेवा में प्रोन्नति और पुष्टि के मामलों पर विचार करने के लिए समूह "क" विभागीय प्रोन्नति समिति की संरचना

क्र. सं.	ड्यूटी पद का नाम और श्रेणी	समूह "क" विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए)	समूह "क" विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	मुख्य इंजीनियर (सिविल)	1. अध्यक्ष/सदस्य संघ लोक सेवा आयोग—अध्यक्ष 2. संकर्म महानिदेशक—सदस्य 3. सचिव/विशेष सचिव/अपर सचिव, शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय—सदस्य	लागू नहीं होता
2.	अधीक्षण इंजीनियर (सिविल) (अकृत्यिक चयन श्रेणी)	1. संकर्म महानिदेशक—अध्यक्ष 2. अपर सचिव/संयुक्त सचिव, शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय—सदस्य	लागू नहीं होता
3.	अधीक्षण इंजीनियर (सिविल) (कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी)	1. अध्यक्ष/सदस्य संघ लोक सेवा आयोग—अध्यक्ष 2. संकर्म महानिदेशक/संकर्म अपर महानिदेशक—सदस्य 3. अपर सचिव/संयुक्त सचिव शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय—सदस्य	लागू नहीं होता
4.	कार्यपालक इंजीनियर (सिविल)	1. अध्यक्ष/सदस्य संघ लोक सेवा आयोग—अध्यक्ष 2. संकर्म महानिदेशक/संकर्म अपर महानिदेशक—सदस्य 3. संयुक्त सचिव, शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय—सदस्य	लागू नहीं होता
5.	सहायक कार्यपालक इंजीनियर (सिविल)	1. संकर्म महानिदेशक संकर्म अपर महानिदेशक—अध्यक्ष 2. संयुक्त सचिव, शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय—सदस्य 3. निदेशक/उप सचिव—सदस्य	लागू नहीं होता

टिप्पण :

(1) संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य से भिन्न किसी सदस्य की अनुपस्थिति, विभागीय प्रोन्नति समिति की कार्यवाहियों को अधिमान्य नहीं करेगी, यदि समिति के अधिक से अधिक सदस्य इसकी बैठक में हाजिर हुए थे।

(2) पुष्टि से संबंधित विभागीय प्रोन्नति समिति की कार्यवाहियां अनुमोदन के लिए आयोग को भेजी जाएंगी। यदि फिर भी, ये आयोग द्वारा अनुमोदन नहीं की जाती हैं तो विभागीय प्रोन्नति समिति की एक नए सिरे से बैठक, जिसकी संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य द्वारा अध्यक्षता की जानी है, होगी।

[फा. सं. 8/5/95-ईसी-1/ईडब्ल्यू-1]

बि. एस. मिन्हास, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF URBAN AFFAIRS AND EMPLOYMENT

(Department of Urban Development)

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th October, 1996

G. S. R. 500(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Central Engineering Services Group 'A' Recruitment Rules, 1954 (No. SRO-1841, dated the 21st May, 1954), and the Central Engineering Services Class-I Recruitment Rules, 1961 (No. GSR-233, dated the 10th February, 1961), except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules, namely :—

1. Short title and commencement :—(1) These rules may be called the Ministry of Urban Affairs and Employment (Department of Urban Development) Central Engineering (Civil) Group 'A' Service Rules, 1996.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions :—In these rules, unless the context otherwise require :—

(a) "appointed day" means the date on which these rules comes into force;

(b) "commission" means the Union Public Service Commission;

(c) "controlling authority" means the Government of India in the Ministry of Urban Affairs and Employment;

(d) "departmental promotion committee" means a Committee constituted to consider promotion or confirmation in any Grade;

(e) "duty post" means a post included in Schedule-I;

(f) "Government" means the Govenmment of India;

(g) "grade" means a grade of the service;

(h) "regular service" in relation to any grade means the period or periods of service in that grade rendered after selection and appointed thereto under the rules according to the prescribed procedure for regular appointment to that grade and includes any period or periods :—

(1) taken into account for the purpose of seniority in case of those appointed under rule 6

(2) during which an officer would have held a duty post in that grade but for being on leave or otherwise not being available for holding such post;

(i) "Schedule" means a Schedule appended to these rules;

(j) "Scheduled Castes and Scheduled Tribes" have the same meaning as assigned to them in clauses (24) and (25) respectively of article 366 of the Constitution of India, and "OBC" means Other Backward Classes having the same meaning and applicability as laid down in Department of Personnel and Training O.M. No. 36012/22/93-Estt. (SCT), dated the, 8th September, 1993; and

(k) "service" means the Central Engineering (Civil) Group "A" Service constituted under rule 3.

3. Constitution of the Service.—All the duty posts included in the Service as specified in Schedule-I shall constitute the Central Engineering (Civil) Group 'A' Service.

4. Grade, strength and its review.—(1) The duty posts included in the various grades of the service, their numbers and scales of pay, on the date of commencement of these rules, shall be as specified in Schedule-I.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1), the Government may,

(a) from time to time, by order make temporary additions or alterations to the strength of the duty posts in various grades, for such period as may be specified therein;

(b) in consultation with the Commission, include in the Service such posts as can be deemed to be equivalent in status, grade or pay scale to the posts included in Schedule-I or exclude from the Service a duty post included in the said Schedule;

(c) in consultation with the Commission, appoint an officer to a duty post included in the Service under clause (b) to the appropriate grade in a temporary capacity or in a substantive capacity, and fix his seniority in the grade after taking into account continuous regular service in the analogous grade.

5. Members of the Service.—(1) The following shall be the members of the Service :—

(a) persons appointed to duty posts under rule 6; and

(b) persons appointed to duty posts under rule 7.

(2) A person appointed under clause (a) of sub-rule (1) shall, on such appointment, be deemed to be a member of the Service in the appropriate grade applicable to him under Schedule-I.

(3) A person appointed under clause (b) of sub-rule (1) shall be a member of the Service in the appropriate grade applicable to him under Schedule-I from the date of such appointment.

6. Initial constitution of the service.—(1) All existing officers holding Group 'A' duty posts on regular basis in the Central Engineering Service, Group 'A' on the date of commencement of these rules shall be the members of the Service in the respective grades.

(2) The regular continuous service of Officers referred to in sub-rule (1) before the commencement of these rules shall count for the purpose of probation, seniority, qualifying service for promotion, confirmation and pension in the service.

(3) To the extent the controlling authority is not able to fill up the posts in authorised regular strength of various grades in the service in accordance with the provisions of this rule, the same shall be filled in accordance with the provisions of rules 7 and 8.

7. Future maintenance of the service.—The vacant duty posts in any of the grades referred to in Schedule-I, after the initial constitution under rule 6, shall be filled in the following manner, namely :

(i) all the vacancies in the grade of Assistant Executive Engineer shall be filled by direct recuitment on the basis of the results of the Combined Engineering Services Examination conducted by the Commission on the basis of educational qualifications and age limits specified in Schedule-III;

(ii) all the vacancies in the grades of Executive Engineer and above shall be filled by promotion from amongst the officers in the next lower grade with minimum qualifying service as specified in Schedule-II.

(iii) (a) The selection of officer for promotion shall be made by the departmental promotion committee as specified in Schedule-IV, by selection on merit except in the case of promotion of the Assistant Executive Engineer to the post of the Executive Engineer and of the Superintending Engineer (Junior Administrative Grade) for appointment to the post of the (Superintending Engineer selection grade);

(b) selection of the Assistant Executive Engineer for promotion to the post of the Executive Engineer shall be in the order of their seniority subject to rejection of the unfit;

(c) placement of the Superintending Engineer (Junior Administrative Grade) in the post of Superintending Engineer (selection grade) shall be made in the order of seniority based on their suitability taking into account their overall performance, experience and other related matters as per Guidelines issued by the Government from time to time;

(iv) if any officer appointed to any post in the service is considered for the purpose of promotion to the higher post, all persons senior to him in the grade shall also be considered notwithstanding that they do not fulfil the prescribed eligibility service, if

5

the shortfall is not more than one year and they have successfully completed their probation period, if prescribed.

(v) the post of Chief Engineer and Superintending Engineer borne on the Common Cadre of Central Engineering Service (Civil) Group 'A' and Central Engineering Service (Electrical and Mechanical) Group 'A' shall be filled by appointment of Officers empanelled by the respective departmental promotion committee for the posts of Chief Engineer and Superintending Engineer.

8. Filling of duty posts by deputation.—Notwithstanding anything contained in rule 7, where the Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may for reasons to be recorded in writing and in consultation with Commission, fill-up a duty post in any grade by transfer on deputation for a period not exceeding three years, which may in special circumstances be extended upto five years, as the Government may think fit. The qualifications, experience and the qualifying service for appointment to any grade of the Service under this rule shall be decided by the Government in consultation with the Commission on each occasion.

9. Seniority.—(1) The relative seniority of members of the service appointed to a duty post under rule 6, shall be as obtaining on the date of commencement of these rules :

Provided that if the seniority of any such member had not been specifically determined on the said date, the same shall be determined on the basis of the rules governing fixation of seniority as applicable to the members of the service prior to the commencement of these rules.

(2) The seniority of persons recruited to the Service, other than those appointed under rule 6, shall be determined in accordance with the general instructions issued by the government in this behalf from time to time.

(3) In the cases not covered under sub-rule (1) and sub-rule (2) above, the seniority shall be determined by the Government in consultation with the Commission.

10. **Probation.**—(1) Every Officer on appointment to the Service either by direct recruitment or by promotion shall be on probation for a period of two years :

Provided that the controlling authority may extend the period of probation in accordance with the instructions issued by the Government in this behalf from time to time :

Provided further that any decision for extension of a probation period shall be taken within eight weeks after the expiry of initial period of probation and Communicated in writing to the concerned Officer together with reasons for so doing within the said period.

(2) On completion of the period of probation or any extension thereof, officer shall, if considered fit for permanent appointment, be considered for confirmation in terms of the orders of the Government issued from time to time.

(3) If, during the period of probation or any extension thereof, as the case may be, Government is of the opinion that an officer is not fit for permanent appointment, Government may discharge the officer or revert him to the post held by him prior to his appointment in the Service, as the case may be.

(4) During the period of probation or any extension thereof, an officer may be required by Government to undergo such courses of training or to pass such examinations or tests (including examination in Hindi) as the Government may deem fit, as condition for satisfactory completion of probation.

(5) As regards other matters relating to probation, the members of the Service shall be governed by the orders or instructions issued by the Government in this behalf from time to time.

11. Appointment to the service.—All appointments to the Service shall be made by the controlling authority for all the duty posts in various grades of the Service.

12. Posting.—Officers appointed to the Service shall be liable to serve anywhere in India or abroad.

13. Liability to serve defence services or posts connected with defence.—Any Officer appointed to the Service, if so required, shall be liable to serve in any defence service or post connected with the defence of India, for a period of not less than four years including the period spent on training, if any :

Provided that such Officers.—

(i) shall not be required to serve as aforesaid after the expiry of ten years from the date of appointment to the Service or from the date of his joining the Service;

(ii) shall not ordinarily be required to serve as aforesaid if he has attained the age of forty years.

14. Disqualification.—No person—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the service :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

15. Other conditions of the service.—The conditions of service of members of the service in respect of matters for which no specific provision has been made in these rules, shall be the same as are applicable, from time to time, to officers of equivalent rank of the Central Government.

16. Power to relax.—Where the Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

17. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation in age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Government from time to time in this regard.

SCHEDULE—I
(See rule 3)

Posts indicated in column (3) also include posts sanctioned in some departments such as Income Tax etc. and are encadered in the Central Engineering (Civil) Group 'A' Service

Sl. No.	Name of the duty post and grade	No. of posts*	Scale of pay
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Chief Engineer (Civil)	40	5900-200-6700
2.	Superintending Engineer (Civil) Non-functional-Selection Grade	**	4500-150-5700
3.	Superintending Engineer (Civil) (Junior Administrative Grade)	130@	3700-125-4700-150-5000
4.	Executive Engineer (Civil)	494@	3000-100-3500-125-4500
5.	Assistant Executive Engineer (Civil)	60	2200-75-2800-EB-100-4000
6.	Assistant Executive Engineer (Civil) (Leave Reserve)	20	2200-75-2800-EB-100-4000

* In 1996, subject to variation dependent on workload.

@ Includes non-functional selection grade posts also in the pay scale of Rs. 4500-150-5700/-

** The junior administrative grade (grade selection) is non-functional and the maximum number of posts in this grade shall be equal to fifteen per cent of the senior duty posts (i.e. all duty posts at the level of senior time scale and above in the Service) and the maximum number of posts in the selection grade (non-functional) shall be limited to the number of posts sanctioned in junior administrative grade.

6

Note : Three posts of Chief Engineer and six posts of Superintending Engineers are common cadre posts for the Central Engineering (Civil) Group 'A' Service and the Central Engineering Electrical and Mechanical Group 'A' Service.

SCHEDULE—II

[See rule 7(ii)]

Method of recuitment, field of promotion and minimum qualifying service in the immediate lower grade for appointment of officers on promotion to duty posts included in the various grades of the Central Engineering (Civil) Group 'A' Service.

Sl. No.	Name of duty post and grade	Method of recruitment	Field of selection, minimum qualifying service and educational qualification for promotion
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Chief Engineer (Civil)	By promotion	Superintending Engineer (Civil) with eight years regular service in the grade (including service, if any rendered in the non-functional selection grade) or seventeen years regular service in gruop A posts of the service out of which four years regular service should be in the grade of Superintending Engineer (Civil).
2.	Superintending Engineer (Civil) (Non-functional) (Selection Grade)	By appointment on the basis of seniority and suitability taking into account the overall performance and other related matters.	Superintending Engineer (Civil) (Junior administrative grade) who have entered fourteenth year of Group A service on the first of July of the year calculated from the year following the year of examination on the basis of which the Officer was recuited or who have rendered nine years Group A service calculated from the date of promotion to the senior time scale in the case of officers promoted from Assistant Engineer.
3.	Superintending Engineer (Civil) (Junior Administrative Grade)	By promotion	Executive Engineer (Civil) with five years regular service in the grade and possessing degree in Engineering from a recognised University or equivalent.
4.	Executive Engineer (Civil)	By promotion	(i) 33$^1/_3$ per cent from Assistant Executive Engineer (Civii) with four years regular service in the grade. (ii) 33$^1/_3$ per cent from Assistant Engineers (Civil) with eight years regular service in the grade and possessing degree in Civil Engineering or any other equivalent qualification. (iii) 33$^1/_3$ per cent from Assistant Engineer (Civil) with ten years regular service in the grade and possessing Diploma in or Engineering from a recognised University or Institution or any other equivalent qualification.
5.	Assistant Executive Engineer (Civil)	By direct recruitment through Engineering Services Examination conducted by the Commission.	

SCHEDULE—III

[See rule 7(i)]

Minimum educational qualification and age limit for direct recruitment to posts in Central Engineering Service (Civil) Group 'A' on the basis of competitive Examination to be conducted by the Union Public Service Commission.

(A) A candidate shall possess :—

(1) a degree in Civil Engineering from;

(i) a University incorporated by an Act of the Central or State Legislature in India; or

(ii) an educational Institution established by an Act of Parliament or declared to be deemed as University under section 3 of the University Grant Commission Act, 1956, or

(2) Such other equivalent qualification as have been or may be recognised by the Government for the purpose of admission to the said examination; or

(3) A degree/diploma in Engineering from such foreign University/College/Institution and under such conditions as may be recognised by the Government for the purpose from time to time.

NOTES :

(1) In exceptional cases, the Commission may treat a candidate, not possessing any of the above qualifications, as educationally qualified provided that the Commission is satisfied that he has passed examinations conducted by other Institutions the standard of which in the opinion of the Commission, justified his admission to the examination.

(2) A candidate who is otherwise qualified by virtue of his having taken a Degree from a foreign University which is not recognised by Government, may also apply to the Commission and may be admitted to the examination at the discretion of the Commission;

(B) A candidate shall have attained the age of 20 years but not have attained the age of 28 years on the 1st day of August of the year in which the examination is held.

SCHEDULE—IV

[See rule 7(iii)]

Composition of Group 'A' departmental promotion committee for considering cases of promotion and confirmation in the Central Engineering (Civil) Group 'A' Service

Sl. No.	Name of the duty post & grade	Group 'A' Departmental Promotional Committee (for considering promotion)	Group 'A' Departmental Promotional Committee (for considering confirmation)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Chief Engineer (Civil)	1. Chairman/Member Union Public Service Commission—Chairman 2. Director General of Works—Member 3. Secretary/Special Secretary/ Additional Secretary, Ministry of Urban Affairs and Employment—Member	Not applicable

(1)	(2)	(3)	(4)
2.	Superintending Engineer (Civil) (Non-functional) (Selection Grade)	1. Director General of Works—Chairman 2. Additional Secretary/ Joint Secretary, Ministry of Urban Affairs and Employment—Member	Not applicable
3.	Superintending Engineer (Civil) (Junior Adminis-trative Grade)	1. Chairman/Member Union Public Service Commission—Chairman 2. Director General of Works/Additional Director General of Works—Member 3. Additional Secretary/ Joint Secretary, Ministry of Urban Affairs and Employ-ment—Member	Not applicable
4.	Executive Engineer (Civil)	1. Chairman/Member Union Public Service Commission—Chairman 2. Director General of Works/Additional Director General of Works—Member 3. Joint Secretary Ministry of Urban Affairs and Employ-ment—Member.	Not applicable
5.	Assistant Execu-cutive Engineer (Civil)	1. Director General of Works/ Additional Director General of Works—Chairman 2. Joint Secretary, Ministry of Urban Affairs and Em-ployment—Member 3. Director/Deputy Secretary —Mem-ber.	Not applicable.

Note :

1. The absence of a Member, other than the Chairman or a Member of the Union Public Service Commission shall not invalidate the proceedings of the Departmental Promotion Committee if more than half the members of the Committee had attended its meetings.

2. The proceedings of the Departmental Promotion Committee relating to confirmation shall be sent to the Commission for approval. If, however, these are not approved by the Commission, a fresh meeting of the departmental promotional committee to be presided over by the Chairman or a Member of the Union Public Service Commission, shall be held.

[F. No. 8/5/95/ECI/EWI]

B.S. MINHAS, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 अक्तूबर, 1996

सा.का.नि. 501(अ).—राष्ट्रपति , संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और केन्द्रीय वैद्युत और यांत्रिक इंजीनियरी सेवा समूह "क" भर्ती नियम, 1954 (का.नि.आ. सं. 1843, तारीख 21 मई, 1954) केन्द्रीय वैद्युत इंजीनियरी सेवा समूह "क" भर्ती नियम, 1958 (सा.का.नि. सं. 36, तारीख 31 दिसम्बर , 1958), और कार्यपालक इंजीनियर केन्द्रीय इंजीनियरी और केन्द्रीय वैद्युत इंजीनियरी सेवा (समूह "क") ज्येष्ठता का विनियमन नियम, 1976 (सा.का.नि. सं. 892, तारीख 8 जून, 1976) को अधिक्रान्त करते हुए सिवाय उन बातों के जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय (शहरी विकास विभाग), केन्द्रीय इंजीनियरी (वैद्युत और यांत्रिक) समूह "क" सेवा नियम, 1996 है,

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **परिभाषाएं**—इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:—

(क) "नियत दिन" से वह तारीख जिसको ये नियम प्रवृत्त होते हैं, अभिप्रेत है

(ख) "आयोग" से संघ लोक सेवा आयोग अभिप्रेत है,

(ग) "नियंत्रक प्राधिकारी" से भारत सरकार का शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय अभिप्रेत है,

(घ) "विभागीय प्रोन्नति समिति" से ऐसी समिति अभिप्रेत है, जिसका गठन किसी भी श्रेणी में प्रोन्नति या उसकी पुष्टि पर विचार करने के लिए किया गया है,

(ङ) "ड्यूटी पद" से अनुसूची-1 में सम्मिलित कोई पद अभिप्रेत है,

(च) "सरकार" से भारत सरकार अभिप्रेत है,

(छ) "श्रेणी" से सेवा की श्रेणी अभिप्रेत है,

(ज) "नियमित सेवा" से किसी श्रेणी के संबंध में उस श्रेणी में नियमित नियुक्ति के लिए विहित प्रक्रिया के अनुसार नियमों के अधीन उसके चयन और नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में की गई सेवा की अवधि या अवधियां अभिप्रेत हैं और जिसके अन्तर्गत निम्नलिखित अवधि या अवधियां भी हैं:—

(1) नियम 6 के अधीन नियुक्त किए गए व्यक्तियों के मामलों में उनकी ज्येष्ठता के प्रयोजन के लिए गणना में लिया गया,

(2) जिसके दौरान आफिसर उस श्रेणी में ड्यूटी पद यदि वह छुट्टी पर होने के या अन्यथा किसी कारण से ऐसा पद धारण करने के लिए उपलब्ध रहा होता तो धारण करता।

(झ) "अनुसूची" से इन नियमों से संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है,

(ञ) "अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां" के वही अर्थ होंगे जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 366 के क्रमशः खंड (24) और खंड (25) में उनके लिए समनुदिष्ट है और "अ.पि.व." से अन्य पिछड़ा वर्ग अभिप्रेत है और उसका वही अर्थ होगा तथा वह उसी प्रकार लागू होगा जैसा कि कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/22/93-स्थापन (एस.सी.टी.) तारीख 8 सितम्बर, 1993 में अधिकथित है, और

(ट) "सेवा" से नियम 3 के अधीन गठित केन्द्रीय इंजीनियरी सेवा (वैद्युत और यांत्रिक) समूह "क" सेवा अभिप्रेत है।

3. **सेवा का गठन.**—अनुसूची-1 से यथाविनिर्दिष्ट सेवा में सम्मिलित सभी ड्यूटी पद केन्द्रीय इंजीनियरी (वैद्युत और यांत्रिक) समूह "क" सेवा का गठन करेंगे।

4. **ग्रेड, संख्या और इसका पुनर्विलोकन.**—(1) इन नियमों के प्रारंभ होने की तारीख को सेवा के विभिन्न ग्रेडों में सम्मिलित ड्यूटी पद, उनकी संख्या और वेतनमान वे होंगे जैसे कि अनुसूची-1 में विनिर्दिष्ट है।

8

(2) उपनियम (1) में किसी बात के होते हुए भी सरकार :—

(क) समय-समय पर आदेश द्वारा विभिन्न श्रेणियों में ड्यूटी पदों की संख्या में ऐसी अवधि के लिए जैसी उसमें विनिर्दिष्ट की जाए अस्थायी परिवर्धन या परिवर्तन कर सकेगी।

(ख) आयोग के परामर्श से, सेवा में ऐसे पदों को सम्मिलित कर सकेगी जिन्हें अनुसूची-1 में सम्मिलित पद उनकी हैसियत या वेतनमान के समतुल्य समझे जा सके या उक्त अनुसूची में सम्मिलित किसी ड्यूटी पद को सेवा से अपवर्जित कर सकेगी।

(ग) आयोग के परामर्श से, खंड (ख) के अधीन सेवा में सम्मिलित ड्यूटी पद पर किसी अधिकारी की अस्थायी रूप से या अधिष्ठायी रूप से नियुक्ति कर सकेगी और सदृश श्रेणी में निरंतर नियमित सेवा को ध्यान में रखते हुए उसकी ज्येष्ठता नियत कर सकेगी।

5. सेवा के सदस्य—(1) निम्नलिखित व्यक्ति सेवा के सदस्य होंगे :—

(क) नियम 6 के अधीन ड्यूटी पद पर नियुक्त व्यक्ति, और

(ख) नियम 7 के अधीन ड्यूटी पद पर नियुक्त व्यक्ति ।

(2) उपनियम (1) के खंड (क) के अधीन नियुक्त व्यक्ति, ऐसी नियुक्ति पर अनुसूची-1 के अधीन उसे लागू समुचित श्रेणी में सेवा का सदस्य माना जाएगा।

(3) उपनियम (1) के खंड (ख) के अधीन नियुक्त व्यक्ति ऐसी नियुक्ति की तारीख से अनुसूची-1 के अधीन उसे लागू समुचित श्रेणी में सेवा का सदस्य होगा।

6. सेवा का आरंभिक गठन —(1) इन नियमों की प्रारंभ की तारीख को केन्द्रीय वैद्युत और यांत्रिक इंजीनियरी सेवा, समूह ''क'' में नियमित आधार पर समूह ''क'' ड्यूटी पद धारण कर रहे सभी विद्यमान अधिकारी अपनी-अपनी श्रेणियों में सेवा के सदस्य होंगे।

(2) इन नियमों के आरंभ से पूर्व उप नियम (1) में निर्दिष्ट अधिकारियों की नियमित निरन्तर सेवा को सेवा में उनकी प्रोन्नति पुष्टि और पेंशन के लिए परिवीक्षा ज्येष्ठता और अर्हक सेवा के प्रयोजन के लिए गणना में लिया जाएगा।

(3) वह सीमा जिस तक नियंत्रण प्राधिकारी इस नियम के उपबंधों के अनुसार सेवा की विभिन्न श्रेणियों की प्राधिकृत नियमित संख्या में पदों को भरने के लिए समर्थ नहीं है तो उन्हें नियम 7 और नियम 8 के उपबंधों के अनुसार भरा जाएगा।

7. सेवा की भावी अनुरक्षण—नियम 6 के अधीन आरंभिक गठन के पश्चात् अनुसूची-1 में निर्दिष्ट किसी भी श्रेणी में रिक्त ड्यूटी पद निर्म्नलिखित रीति से भरे जाएंगे, अर्थात् :—

(i) सहायक कार्यपालक इंजीनियर की श्रेणी में सभी रिक्तियां अनुसूची-3 में विनिर्दिष्ट शैक्षणिक अर्हता और आयु सीमा के आधार पर आयोग द्वारा संचालित सम्मिलित इंजीनियरी सेवा परीक्षा के परिणाम के आधार पर सीधी भर्ती द्वारा, या परीक्षा की किसी स्कीम के अधीन जो समय-समय पर आयोग के परामर्श से सरकार द्वारा अधिसूचित की जाए, भरी जाएंगी,

(ii) सेवा के कार्यपालक इंजीनियर और उससे ऊपर की श्रेणियों में सभी रिक्तियां अनुसूची-2 में विनिर्दिष्ट न्यूनतम अर्हक सेवा सहित अगली निचली श्रेणी के अधिकारियों में प्रोन्नति द्वारा भरी जाएंगी।

(iii) (क) सहायक कार्यपालक इंजीनियर से कार्यपालक इंजीनियर के पद और अधीक्षण इंजीनियर (कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी) की अधीक्षण इंजीनियर (चयन श्रेणी) के लिए प्रोन्नति के मामलों के सिवाय प्रोन्नति के लिए अधिकारियों का चयन अनुसूची-4 में यथाविनिर्दिष्ट विभागीय प्रोन्नति समिति द्वारा योग्यता के आधार पर किया जाएगा,

(ख) कार्यपालक इंजीनियर के पद पर पदोन्नति के लिए सहायक कार्यपालक इंजीनियर का चयन उनकी ज्येष्ठता के क्रम में उपयुक्तता के अधीन रहते हुए किया जाएगा,

(ग) अधीक्षण इंजीनियर (कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी) की अधीक्षण इंजीनियर (चयन श्रेणी) के पद पर नियोजन उनकी उपयुक्तता के आधार पर ज्येष्ठता के क्रम में, सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अनुसार उनके सम्पूर्ण कार्य अनुभव और अन्य संबंधित बातों को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा,

(iv) यदि किसी पद पर नियुक्त व्यक्ति का उच्च पद पर पदोन्नति के प्रयोजन के लिए विचार किया जाता है, उस श्रेणी में ज्येष्ठ सभी व्यक्तियों की बाबत भी इस बात के होते हुए भी कि वे विहित पात्रता सेवा पूरी नहीं करते हैं, विचार किया जाएगा, यदि कभी एक वर्ष से अधिक नहीं है और वे अपनी परिवीक्षा की अवधि यदि विहित हो गई है, सफलतापूर्वक पूरी कर ली है।

(v) केन्द्रीय इंजीनियरी सेवा (सिविल) समूह ''क'' और केन्द्रीय इंजीनियरी सेवा (वैद्युत और यांत्रिक) समूह ''क'' के सामान्य काडर के पद, मुख्य इंजीनियर और अधीक्षण इंजीनियर के पदों के लिए अपनी-अपनी विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा पैनलित अधिकारियों की नियुक्ति द्वारा भरे जाएंगे।

8. ड्यूटी पदों को प्रतिनियुक्ति द्वारा भरना—नियम 7 में किसी बात के होते हुए भी, जहां सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है वहां ऐसे कारणों को लेखबद्ध करते हुए, आयोग के परामर्श से किसी भी श्रेणी में ऐसी अवधि के लिए जो तीन वर्ष से अधिक न हो। जिसका विशेष परिस्थितियों में पांच वर्ष की अवधि तक विस्तार किया जा सकता है जैसा सरकार उचित समझे, प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण द्वारा ड्यूटी पद भरा जाएगा। इस नियम के अधीन सेवा की किसी श्रेणी में नियुक्ति के लिए अर्हता, अनुभव और अर्हक सेवा का प्रत्येक अवसर पर आयोग के परामर्श से सरकार द्वारा विनिश्चय किया जाएगा।

9. ज्येष्ठता (1) नियम 6 के अधीन ड्यूटी पद पर नियुक्त सेवा के सदस्यों की अपेक्षित ज्येष्ठता, इन नियमों के प्रारंभ की तारीख को यथा विद्यमान रूप में होगी :

परन्तु यदि उक्त तारीख को किसी ऐसे सदस्य की ज्येष्ठता विनिर्दिष्टतया अवधारित नहीं की गई थी, यह इन नियमों के प्रारंभ होने से पूर्व सेवा के सदस्यों को यथा लागू ज्येष्ठता नियतन को विनियमित करने वाले नियमों के आधार पर अवधारित की जाएगी।

(2) नियम 6 के अधीन नियुक्त व्यक्तियों से भिन्न सेवा में भर्ती व्यक्तियों की ज्येष्ठता समय-समय पर इस निमित सरकार द्वारा जारी सामान्य अनुदेशों के अनुसार अवधारित की जाएगी।

(3) ऊपर उपनियम (1) और उपनियम (2) के अधीन न आने वाले मामलों में ज्येष्ठता सरकार द्वारा आयोग के परामर्श से अवधारित की जाएगी।

10. परिवीक्षा—(1) प्रत्येक अधिकारी, या तो सीधी भर्ती या पदोन्नति द्वारा सेवा में नियुक्ति पर दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रहेगा :

परन्तु नियंत्रक प्राधिकारी समय-समय पर इस निमित जारी अनुदेशों के अनुसार परिवीक्षा अवधि का विस्तार कर सकता है :

परन्तु यह और कि परिवीक्षा की अवधि के विस्तार के लिए कोई विनिश्चय परिवीक्षा की आरंभिक अवधि की समाप्ति के पश्चात् आठ सप्ताह के भीतर लिया जाएगा और उक्त अवधि के भीतर ऐसा करने के कारणों के साथ संबंधित अधिकारी को लिखित में संसूचित किया जाएगा।

(2) परिवीक्षा की अवधि पर या उसकी किसी विस्तारित अवधि के पूरा होने पर अधिकारी यदि स्थायी नियुक्ति के योग्य माना गया है तो समय-समय पर जारी सरकार के आदेशों के निबंधनों के अनुसार उसकी पुष्टि के लिए विचार किया जाएगा।

(3) यदि, यथास्थिति, परिवीक्षा की अवधि या उसकी किसी विस्तारित अवधि के दौरान सरकार की यह राय है कि कोई अधिकारी स्थायी नियुक्ति के योग्य नहीं है तो सरकार अधिकारी को यथास्थिति सेवा मुक्त कर सकेगी या उसे उसकी नियुक्ति से पूर्व उसके द्वारा धारित पद पर प्रत्यावर्ति कर सकेगी।

(4) सरकार, परिवीक्षा की अवधि या उसकी किसी विस्तारित अवधि के दौरान, किसी अधिकारी से प्रशिक्षण के ऐसे पाठ्यक्रम के करने या ऐसी परीक्षा अथवा परीक्षण (जिसके अन्तर्गत हिन्दी परीक्षा भी सम्मिलित है) उत्तीर्ण करने की अपेक्षा कर सकेगी जैसी सरकार परिवीक्षा को संतोषप्रद पूरा करने के लिए शर्त के रूप में आवश्यक समझे।

(5) परिवीक्षा से संबंधित अन्य मामलों के विषय में, सेवा के सदस्य समय-समय पर इस निमित सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों और अनुदेशों द्वारा शासित होंगे।

11. सेवा में नियुक्ति—सेवा में की सभी नियुक्तियां, सेवा की विभिन्न श्रेणियों में ड्यूटी पदों के लिए नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा की जाएंगी।

12. **तैनाती**—सेवा में नियुक्त अधिकारी भारत या विदेश में कहीं भी सेवा करने का दायी होगा।

13. रक्षा सेवाएं या रक्षा से संबंधित पदों पर सेवा करने का दायित्व सेवा में नियुक्त कोई अधिकारी, यदि ऐसा अपेक्षित हो, चार वर्ष से अन्यून अवधि के लिए जिसके अन्तर्गत प्रशिक्षण पर बिताई गई अवधि भी है, यदि कोई है, किसी रक्षा सेवा या भारत की रक्षा से संबंधित पद पर सेवा करने का दायी होगा।

परन्तु ऐसे अधिकारी से—

(i) सेवा में नियुक्ति की तारीख से दस वर्ष की समाप्ति के पश्चात् या सेवा में उसके सम्मिलित होने की तारीख से यथापूर्वोक्त सेवा करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी।

(ii) यथापूर्वोक्त सेवा करने के लिए साधारणतया अपेक्षा नहीं की जाएगी यदि उसने चालीस वर्ष की आयु पूरी कर ली है।

14. **निरर्हता**—वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या,

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

15. **सेवा की अन्य शर्तें**—ऐसे विषयों की बाबत सेवा के सदस्यों की ऐसी शर्तें, जिनके इन नियमों में कोई विनिर्दिष्ट उपबंध नहीं किया गया है वही होगा जैसा समय-समय पर केन्द्रीय सरकार के समतुल्य रैंक के अधिकारियों को लागू होंगी।

16. **शिथिल करने की शक्ति**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण है उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

17. **व्यावृत्ति**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची-1

(नियम 3 देखिए)

स्तंभ (3) में दर्शित किए गए पदों में कुछ विभागों में जैसे आय-कर आदि और केन्द्रीय इंजीनियरी (वैद्युत और यांत्रिक) समूह "क" काडर में सम्मिलित है, स्वीकृत पद भी सम्मिलित है।

क्र.सं.	ड्यूटी पद और श्रेणी का नाम	पदों की सं.*	वेतनमान
1.	मुख्य इंजीनियर (वैद्युत और यांत्रिक)	06	5900-200-6700
2.	अधिक्षण इंजीनियर (वैद्युत और यांत्रिक) अकृत्यिक चयन श्रेणी	**	4500-150-5700
3.	अधिक्षण इंजीनियर (वैद्युत और यांत्रिक) (कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी)	36@	3700-125-4700-150-5000
4.	कार्यपालक इंजीनियर (वैद्युत और यांत्रिक)	156	3000-100-3500-125-4500
5.	सहायक कार्यपालक इंजीनियर (वैद्युत और यांत्रिक)	15	2200-75-2800-द.रो.-100-4000
6.	सहायक कार्यपालक इंजीनियर (वैद्युत और यांत्रिक) (छुट्टी आरक्षित)	05	2200-75-2800-द.रो.-100-4000

*1996 में, कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।

@ 4500-150-5700 रु. के वेतनमान में अकृत्यिक चयन श्रेणी पद भी सम्मिलित हैं।

** कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी (श्रेणी चयन) अकृत्यिक है और इस श्रेणी में पदों की अधिकतम संख्या ज्येष्ठ ड्यूटी पदों के पन्द्रह प्रतिशत के बराबर होगी [अर्थात् ज्येष्ठ वेतनमान और सेवा में ऊपर के स्तर पर सभी ड्यूटी पद और चयन श्रेणी (अकृत्यिक) में पदों की अधिकतम संख्या कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी में स्वीकृत पदों की संख्या तक सीमित होगी)]

टिप्पण : मुख्य इंजीनियर के तीन पद और अधीक्षण इंजीनियर के छह पदों केन्द्रीय इंजीनियरी (सिविल) समूह "क" सेवा तथा केन्द्रीय इंजीनियरी वैद्युत और यांत्रिक समूह "क" सेवा के लिए सामान्य काडर पद है।

अनुसूची-2

[नियम 7(ii) देखिए]

[केन्द्रीय इंजीनियरी (वैद्युत और यांत्रिक) समूह "क" सेवा की विभिन्न श्रेणियों में सम्मिलित ड्यूटी पदों की प्रोन्नति पर अधिकारियों की नियुक्ति के लिए ठीक निम्न श्रेणी में भर्ती पद्धति, प्रोन्नति क्षेत्र और न्यूनतम अर्हक सेवा]

क्र. सं.	ड्यूटी पद और श्रेणी का नाम	भर्ती पद्धति	चयन क्षेत्र, प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा और शैक्षिक अर्हता
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	मुख्य इंजीनियर (वैद्युत और यांत्रिक)	प्रोन्नति द्वारा	श्रेणी में आठ वर्ष की नियमित सेवा सहित अधीक्षक इंजीनियर (वैद्युत और यांत्रिक) जिसके अन्तर्गत सेवा भी है, यदि कोई अकृत्यिक चयन श्रेणी में की गई थी (या सेवा) समूह "क" पदों से सत्रह वर्ष की नियमित सेवा जिसमें से चार वर्ष की नियमित सेवा अधीक्षण इंजीनियर (वैद्युत और यांत्रिक) की श्रेणी में होनी चाहिए।
2.	अधीक्षण इंजीनियर (वैद्युत और यांत्रिक) (अकृत्यिक) (चयन श्रेणी)	संपूर्ण कार्य और अन्य संबंधित मामलों को ध्यान में रखते हुए ज्येष्ठता और और उपयुक्तता के आधार पर नियुक्ति द्वारा	अधीक्षण इंजीनियर (वैद्युत और यांत्रिक) (कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी) जो परीक्षा जिसके आधार पर अधिकारी को भर्ती किया गया था के आगामी वर्ष से संगणित वर्ष की पहली जुलाई को समूह "क" सेवा के चौदहवें वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं या सहायक इंजीनियर से प्रोन्नति अधिकारी के मामलों में जो ज्येष्ठ वेतनमान में प्रोन्नति की तारीख से संगणित समूह "क" में नौ वर्ष सेवा कर चुका है।
3.	अधीक्षण इंजीनियर (वैद्युत और यांत्रिक) (कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी)	प्रोन्नति द्वारा	श्रेणी में पांच वर्ष की नियमित सेवा सहित कार्यपालक इंजीनियर (वैद्युत/यांत्रिक) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय की वैद्युत और यांत्रिक इंजीनियरी में डिग्री या समतुल्य।
4.	कार्यपालक इंजीनियर (वैद्युत और यांत्रिक)	प्रोन्नति द्वारा	(i) श्रेणी में चार वर्ष की नियमित सेवा सहित सहायक कार्यपालक

10

(1)	(2)	(3)	(4)
			इंजीनियर (वैद्युत और यांत्रिक) से $33^1/_3$ प्रतिशत। (ii) श्रेणी में आठ वर्ष की नियमित सेवा सहित सहायक इंजीनियर (वैद्युत और यांत्रिक) से $33^1/_3$ प्रतिशत और वैद्युत या यांत्रिक इंजीनियरी डिग्री या कोई अन्य समतुल्य अर्हता। (iii) श्रेणी में दस वर्ष की नियमित सेवा सहित सहायक इंजीनियर (वैद्युत) से $33^1/_3$ प्रतिशत और मान्यताप्राप्त विश्व-विद्यालय या संस्था से वैद्युत या यांत्रिक इंजीनियरी में डिप्लोमा या समतुल्य अर्हता रखने वाला।
5.	सहायक कार्यपालक इंजीनियरी (वैद्युत और यांत्रिकी)	आयोग द्वारा संचालित सम्मिलित इंजीनियरी परीक्षा के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा।	

अनुसूची-3

[नियम 7(i) देखिए]

संघ लोक सेवा आयोग द्वारा संचालित की गई प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर केन्द्रीय इंजीनियरी सेवा (वैद्युत और यांत्रिक) समूह ''क'' के पदों पर सीधी भर्ती के लिए न्यूनतम शैक्षिक अर्हता और आयु सीमा।

(क) अभ्यर्थी के पास :—

(1) निम्नलिखित से वैद्युत या यांत्रिकी इंजीनियरी में डिग्री :

(i) केन्द्रीय या राज्य विधान मण्डल के अधिनियम द्वारा भारत में निगमित कोई विश्वविद्यालय, या

(ii) संसद के अधिनियम, द्वारा स्थापित शैक्षिक संस्था या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 के अधीन सम विश्वविद्यालय के रूप में घोषित, या

(2) ऐसी अन्य समतुल्य अर्हता जिसे उक्त परीक्षा में प्रवेश के प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा मान्यता दी गई है या दी जा सकेगी, या

(3) ऐसे विदेशी विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/संस्था से इंजीनियरी में डिग्री/डिप्लोमा और ऐसी शर्तों के अधीन जैसी इस प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा समय-समय पर मान्यता प्राप्त हो सके।

टिप्पण :

(1) असाधारण मामलों में, आयोग उपर्युक्त में से कोई अर्हता न रखने वाले अभ्यर्थी को शैक्षिक रूप से अर्हित मान सकता है परन्तु आयोग का यह समाधान हो कि उसने अन्य संस्थाओं द्वारा संचालित परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है जिसका स्तर आयोग की राय में परीक्षा में उसके प्रवेश को न्यायोचित ठहराता है।

(2) ऐसा अभ्यर्थी जो विदेशी विश्वविद्यालय से जो कि सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है डिग्री प्राप्त करके।

(ख) जिस वर्ष परीक्षा संचालित की जा रही है उस वर्ष 1 अगस्त को अभ्यर्थी ने 20 वर्ष की आयु पूरी कर ली है लेकिन 28 वर्ष की आयु पूरी न की हो।

अनुसूची-4

नियम 7(iv) देखिए

(केन्द्रीय इंजीनियरी (वैद्युत और यांत्रिक) समूह ''क'' सेवा में प्रोन्नति और पुष्टि के मामलों पर विचार करने के लिए समूह ''क'' विभागीय प्रोन्नति समिति की संरचना)।

क्र. सं.	ड्यूटी पदों का नाम और श्रेणी	समूह ''क'' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए)	समूह ''क'' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	मुख्य इंजीनियर (वैद्युत और यांत्रिक)	1. अध्यक्ष/सदस्य संघ लोक सेवा आयोग—अध्यक्ष 2. संकर्म महानिदेशक—सदस्य 3. सचिव/विशेष सचिव/अपर सचिव, शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय—सदस्य	लागू नहीं होता
2.	अधीक्षण इंजीनियर (वैद्युत और यांत्रिक) (अकृत्यिक चयन श्रेणी)	1. संकर्म महानिदेशक—अध्यक्ष 2. अपर सचिव/संयुक्त सचिव, शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय—सदस्य	लागू नहीं होता
3.	अधीक्षण इंजीनियर (वैद्युत और यांत्रिक) (कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी)	1. अध्यक्ष/सदस्य संघ लोक सेवा आयोग—अध्यक्ष 2. संकर्म महानिदेशक/संकर्म अपर महानिदेशक—सदस्य 3. अपर सचिव/संयुक्त सचिव शहरी कार्य एवं रोजगार मंत्रालय—सदस्य	लागू नहीं होता
4.	कार्यपालक इंजीनियर (वैद्युत और यांत्रिक)	1. संकर्म अध्यक्ष/सदस्य संघ लोक सेवा आयोग—अध्यक्ष 2. संकर्म महानिदेशक/संकर्म अपर महानिदेशक—सदस्य 3. संयुक्त सचिव, शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय—सदस्य	लागू नहीं होता
5.	सहायक कार्यपालक इंजीनियर (वैद्युत और यांत्रिक)	1. संकर्म महानिदेशक संकर्म अपर महानिदेशक—अध्यक्ष 2. संयुक्त सचिव, शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय—सदस्य 3. निदेशक/अपर सचिव, शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय—सदस्य	लागू नहीं होता

टिप्पण :

(1) संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य से भिन्न किसी सदस्य की अनुपस्थिति, विभागीय प्रोन्नति समिति की कार्यवाहियों को अधिमान्य नहीं करेगी, यदि समिति के अधिक से अधिक सदस्य इसकी बैठक में हाजिर हुए थे।

(2) पुष्टि से संबंधित विभागीय प्रोन्नति समिति की कार्यवाहियां अनुमोदन के लिए आयोग को भेजी जाएंगी। यदि फिर भी, ये आयोग द्वारा अनुमोदन नहीं की जाती हैं तो विभागीय प्रोन्नति समिति की एक नए सिरे से बैठक, जिसकी संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य द्वारा अध्यक्षता की जानी है, होगी।

[फा. सं. 8/5/95-ईसी-1/ई डब्ल्यू-1]

बी. एस. मिन्हास, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th October, 1996

G.S.R. 501(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Central Electrical and Mechanical Engineering Services Group 'A' Recruitment Rules, 1954 (No. S.R.O.-1843, dated the 21st May, 1954), the Central Electrical Engineering Services Group 'A' Recruitment Rules, 1958 (No. GSR-36, dated the 31st December, 1958), and the Executive Engineers, Central Engineering and Central Electrical Engineering Service (Group 'A') (Regulation of Seniority) Rules, 1976 (No. G.S.R-892, dated the 8th June, 1976), except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules, namely :—

1. Short title and commencement :—(1) These rules may be called the Ministry of Urban Affairs and Employment (Department of Urban Development) Central Engineering (Electrical and Mechanical) Group 'A' Service Rules, 1996.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions :—In these rules, unless the context otherwise require :—

(a) "appointed day" means the date on which these rules comes into force;

(b) "commission" means the Union Public Service Commission;

(c) "controlling authority" means the Government of India in the Ministry of Urban Affairs and Employment;

(d) "departmental promotion committee" means a Committee constituted to consider promotion or confirmation in any Grade;

(e) "duty post" means a post included in Schedule-I;

(f) "Government" means the Govenmment of India;

(g) "grade" means a grade of the service;

(h) "regular service" in relation to any grade means the period or periods of service in that grade rendered after selection and appointed thereto under the rules according to the prescribed procedure for regular appointment to that grade and includes any period or periods :—

(1) taken into account for the purpose of seniority in case of those appointed under rule 6;

(2) during which an officer would have held a duty post in that grade but for being on leave or otherwise not being available for holding such post;

(i) "Schedule" means a Schedule appended to these rules;

(j) "Scheduled Castes and Scheduled Tribes" have the same meaning as assigned to them in clauses (24) and (25) respectively of article 366 of the Constitution of India, and "OBC" means Other Backward Classes having the same meaning and applicability as laid down in Department of Personnel and Training O.M. No. 36012/22/93-Estt. (SCT), dated the, 8th September, 1993; and

(k) "service" means the Central Engineering Service (Electrical and Mechanical) Group "A" Service constituted under rule 3.

3. Constitution of the Service.—All the duty posts included in the Service as specified in Schedule-I shall constitute the Central Engineering (Electrical and Mechanical) Group 'A' Service.

4. Grade, strength and its review.—(1) The duty posts included in the various grades of the service, their numbers and scales of pay, on the date of commencement of these rules, shall be as specified in Schedule-I.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1), the Government may,

(a) from time to time, by order make temporary additions or alterations to the strength of the duty posts in various grades, for such period as may be specified therein;

(b) in consultation with the Commission, include in the Service such posts as can be deemed to be equivalent in status, grade or pay scale to the posts included in Schedule-I or exclude from the Service a duty post included in the said Schedule;

(c) in consultation with the Commission, appoint an officer to a duty post included in the Service under clause (b) to the appropriate grade in a temporary capacity or in a substantive capacity, and fix his seniority in the grade after taking into account continuous regular service in the analogous grade.

5. Members of the Service.—(1) The following persons shall be the members of the Service :—

(a) persons appointed to duty posts under rule 6; and

(b) persons appointed to duty posts under rule 7.

(2) A person appointed under clause (a) of sub-rule (1) shall, on such appointment, be deemed to be a member of the Service in the appropriate grade applicable to him under Schedule-I.

(3) A person appointed under clause (b) of sub-rule (1) shall be a member of the Service in the appropriate grade applicable to him under Schedule-I from the date of such appointment.

6. Initial constitution of the service.—(1) All existing officers holding Group 'A' duty posts on regular basis in the Central Electrical and Mechanical Engineering Services, Group 'A' on the date of commencement of these rules shall be the members of the Service in the respective grades.

(2) The regular continuous service of Officers referred to in sub-rule (1) before the commencement of these rules shall count for the purpose of probation, seniority, qualifying service for promotion, confirmation and pension in the service.

(3) To the extent the controlling authority is not able to fill up the posts in authorised regular strength of various grades in the service in accordance with the provisions of this rule, the same shall be filled in accordance with the provisions of rules 7 and 8.

7. Future maintenance of the service.—The vacant duty posts in any of the grades referred to in Schedule-I, after the initial constitution under rule 6, shall be filled in the following manner, namely :

(i) all the vacancies in the grade of Assistant Executive Engineer shall be filled by direct recuitment on the basis of the results of the Combined Engineering Services Examination conducted by the Commission on the basis of educational qualifications and age limits specified in Schedule-III;

(ii) all the vacancies in the grades of Executive Engineer and above of the service shall be filled by promotion from amongst the officers in the next lower grade with minimum qualifying service as specified in Schedule-II.

(iii) (a) The selection of officer for promotion shall be made by the departmental promotion committee as specified in Schedule-IV, by selection on merit except in the case of promotion of Assistant Executive Engineer to the post of Executive Engineer and of Superintending Engineer (Junior Administrative Grade)

for appointment to the post of (Superintending Engineer selection grade);

(b) selection of the Assistant Executive Engineer for promotion to the post of the Executive Engineer shall be in the order of their seniority subject to rejection of the unfit;

(c) placement of the Superintending Engineer (Junior Administrative Grade) in the post of Superintending Engineer (selection grade) shall be made in the order of seniority based on their suitability taking into account their overall performance, experience and other related matters as per Guidelines issued by the Government from time to time;

(iv) if any officer appointed to any post in the service is considered for the purpose of promotion to the higher post, all persons senior to him in the grade shall also be considered notwithstanding that they do not fulfil the prescribed eligibility service, if the shortfall is not more than one year and they have successfully completed their probation period, if prescribed.

(v) the post of Chief Engineer and Superintending Engineer borne on the Common Cadre of Central Engineering Service (Civil) Group 'A' and Central Engineering Service (Electrical and Mechanical) Group 'A' shall be filled by appointment of Officers empanelled by the respective departmental promotion committee for the posts of Chief Engineer and Superintending Engineer.

8. Filling of duty posts by deputation.—Notwithstanding anything contained in rule 7, where the Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Commission, fillup a duty post in any grade by transfer on deputation for a period not exceeding three years, which may in special circumstances be extended upto five years, as the Government may think fit. The qualifications, experience and the qualifying service for appointment to any grade of the Service under this rule shall be decided by the Government in consultation with the Commission on each occasion.

9. Seniority.—(1) The relative seniority of members of the service appointed to a duty post under rule 6, shall be as obtaining on the date of commencement of these rules :

Provided that if the seniority of any such member had not been specifically determined on the said date, the same shall be determined on the basis of the rules governing fixation of seniority as applicable to the members of the service prior to the commencement of these rules.

(2) The seniority of persons recruited to the Service, other than those appointed under rule 6, shall be determined in accordance with the general instructions issued by the government in this behalf from time to time.

(3) In the cases not covered under sub-rule (1) and sub-rule (2) above, the seniority shall be determined by the Government in consultation with the Commission.

10. Probation.—(1) Every Officer on appointment to the Service either by direct recruitment or by promotion shall be on probation for a period of two years :

Provided that the controlling authority may extend the period of probation in accordance with the instructions issued by the Government in this behalf from time to time :

Provided further that any decision for extension of a probation period shall be taken within eight weeks after the expiry of initial period of probation and communicated in writing to the concerned Officer together with reasons for so doing within the said period.

(2) On completion of the period of probation or any extension thereof, officer shall, if considered fit for permanent appointment, be considered for confirmation in terms of the orders of the Government issued from time to time.

(3) If, during the period of probation or any extension thereof, as the case may be, Government is of the opinion that an officer is not fit for permanent appointment, Government may discharge the officer or revert him to the post held by him prior to his appointment in the Service, as the case may be.

(4) During the period of probation or any extension thereof, an officer may be required by Government to undergo such courses of training or to pass such examinations or tests (including examination in Hindi) as the Government may deem fit, as condition for satisfactory completion of probation.

(5) As regards other matters relating to probation, the members of the Service shall be governed by the orders or instructions issued by the Government in this behalf from time to time.

11. Appointment to the service.—All appointments to the Service shall be made by the controlling authority for all the duty posts in various grades of the Service.

12. Posting.—Officers appointed to the Service shall be liable to serve anywhere in India or abroad.

13. Liability to serve defence services or posts connected with defence—Any Officer appointed to the Service, if so required, shall be liable to serve in any defence service or post connected with the Defence of India, for a period of not less than four years including the period spent on training, if any :

Provided that such Officers.—

(i) shall not be required to serve as aforesaid after the expiry of ten years from the date of appointment to the Service or from the date of his joining the Service;

(ii) shall not ordinarily be required to serve as aforesaid if he has attained the age of forty years.

14. Disqualification.—No person—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the service :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

15. Other conditions of the service.—The conditions of service of members of the service in respect of matters for which no specific provision has been made in these rules, shall be the same as are applicable, from time to time, to officers of equivalent rank of the Central Government.

16. Power to relax.—Where the Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

17. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation in age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Government from time to time in this regard.

SCHEDULE—I
(See rule 3)

Posts indicated in column (3) also include posts sanctioned in some departments such as Income Tax etc. and are encadered in the Central Engineering (Electrical and Mechanical) Group 'A' Service

Sl. No.	Name of the duty Post and grade	No. of posts*	Scale of pay
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Chief Engineer (Electrical and Mechanical)	06	5900-200-6700/-

13

(1)	(2)	(3)	(4)
2.	Superintending Engineer (Electrical and Mechanical) Non-functional-Selection Grade	**	4500-150-5700/-
3.	Superintending Engineer (Electrical and Mechanical) (Junior Administrative Grade)	36@	3700-125-4700-150-5000/-
4.	Executive Engineer (Electrical and Mechanical)	156	3000-100-3500-125-4500/-
5.	Assistant Executive Engineer (Electrical and Mechanical)	15	2200-75-2800-EB-100-4000/-
6.	Assistant Executive Engineer (Electrical and Mechanical) (Leave Reserve)	05	2200-75-2800-EB-100-4000/-

* In 1996, subject to variation dependent on workload.

@ Includes non-functional selection grade posts also in the pay scale of Rs. 4500-150-5700/-.

** The junior administrative grade (grade selection) is non-functional and the maximum number of posts in this grade shall be equal to fifteen per cent of the senior duty posts (i.e. all duty posts at the level of senior time scale and above in the Service) and the maximum number of posts in the selection grade (non-functional) shall be limited to the number of posts sanctioned in junior administrative grade.

Note : Three posts of Chief Engineer and six posts of Superintending Engineers are common cadre posts for the Central Engineering (Civil) Group 'A' Service and the Central Engineering Electrical and Mechanical Group 'A' Service.

SCHEDULE—II

[See rule 7(ii)]

Method of recruitment, field of promotion and minimum qualifying service in the immediate lower grade for appointment of officers on promotion to duty posts included in the various grades of the Central Engineering (Electrical and Mechanical) Group 'A' Service.

Sl. No.	Name of duty Post and grade	Method of recruitment	Field of selection, minimum qualifying service and educational qualification for promotion
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Chief Engineer (Electrical and Mechanical)	By promotion	Superintending Engineer (Electrical and Mechanical) with eight years regular service in the grade (including service, if any rendered in the non-functional selection grade) or seventeen years regular service in group A posts of the service out of which four years regular service should be in the grade of Superintending Engineer (Electrical and Mechanical).
2.	Superintending Engineer (Electrical and Mechanical) (Non-functional) (Selection Grade)	By appointment on the basis of seniority and suitability taking into account the overall performance and other related matters.	Superintending Engineer (Electrical and Mechanical) (Junior administrative grade) who have entered fourteenth year of Group A service on the first of July of the year calculated from the year following the year of examination on the basis of which the Officer was recruited or who have rendered nine years Group A service calculated from the date of promotion to the senior time scale in the case of officers promoted from Assistant Engineer.
3.	Superintending Engineer (Electrical and Mechanical) (Junior Administrative Grade)	By promotion	Executive Engineer (Electrical and Mechanical) with five years regular service in the grade and possessing degree in Electrical or Mechanical Engineering from a recognised University or equivalent.
4.	Executive Engineer (Electrical and Mechanical)	By promotion	(i) 33¹/₃ per cent from Assistant Executive Engineer (Electrical and Mechanical) with four years regular service in the grade. (ii) 33¹/₃ per cent from Assistant Engineers (Electrical) with eight years regular service in the grade and possessing degree in Electrical or Mechanical Engineering or any other equivalent qualification. (iii) 33¹/₃ per cent. from Assistant Engineer (Electrical) with ten years regular service in the grade and possessing Diploma in Electrical or Mechanical Engineering from a recognised University or Institution or any other equivalent qualification.
5.	Assistant Executive Engineer (Electrical and Mechanical)	By direct recruitment through Combined Engineering Services Examination conducted by the Commission.	

SCHEDULE—III

[See rule 7(i)]

Minimum educational qualification and age limit for direct recruitment to posts in Central Engineering Service Electrical and Mechanical Group-'A' on the basis of Competitive Examination to be conducted by the Union Public Service Commission.

(A) A candidate shall possess :—

(1) a degree in Electrical or Mechanical Engineering from;

(i) a University incorporated by an Act of the Central or State Legislature in India; or

(ii) an educational Institution established by an Act of Parliament or declared to be deemed as University under section 3 of the University Grants Commission Act, 1956, or

(2) Such other equivalent qualification as have been or may be recognised by the Government for the purpose of admission to the said examination; or

(3) A degree/diploma in Engineering from such foreign University/ College/Institution and under such conditions as may be recognised by the Government for the purpose from time to time.

NOTE 1 :

In exceptional cases, the Commission may treat a candidate, not possessing any of the above qualifications, as educationally qualified provided that the Commission is satisfied that he has passed examinations conducted by other Institutions the standard of which in the opinion of the Commission, justified his admission to the examination.

NOTE 2 :

A candidate who is otherwise qualified by virtue of his having taken a Degree from a foreign University which is not recognised by Government, may also apply to the Commission and may be admitted to the examination at the discretion of the Commission;

(B) A candidate shall have attained the age of 20 years but not have attained the age of 28 years on the 1st day of August of the year in which the examination is held.

SCHEDULE—IV

[See rule 7(4)]

Composition of Group 'A' departmental promotion committee for considering cases of promotion and confirmation in the Central Engineering (Electrical and Mechanical) Group 'A' Service

Sl. No.	Name of duty post	Group 'A' Departmental Promotional Committee (for considering promotion)	Group 'A' Departmental Promotional Committee (for considering promotion)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Chief Engineer (Electrical and Mechanical)	1. Chairman/Member Union Public Service Commission—Chairman 2. Director General of Works—Member 3. Secretary/Special Secretary/ Additional Secretary, Ministry of Urban Affairs and Employment—Member	Not applicable
2.	Superintending Engineer (Electrical and Mechanical) (Non-functional) (Selection Grade)	1. Director General of Works—Chairman 2. Additional Secretary/ Joint Secretary, Ministry of Urban Affairs and Employment—Member	Not applicable
3.	Superintending Engineer (Electrical and Mechanical) (Junior Administrative Grade)	1. Chairman/Member Union Public Service Commission—Chairman 2. Director General of Works/Additional Director General of Works—Member 3. Additional Secretary/ Joint Secretary, Ministry of Urban Affairs and Employment—Member	Not applicable
4.	Executive Engineer (Electrical and Mechanical)	1. Chairman/Member Union Public Service Commission—Chairman 2. Director General of Works/Additional Director General of Works—Member 3. Joint Secretary Ministry of Urban Affairs and Employment—Member.	Not applicable
5.	Assistant Executive Engineer (Electrical and Mechanical)	Not applicable.	1. Director General of Works/ Additional Director General of Works—Chairman 2. Joint Secretary, Ministry of Urban Affairs and Employment—Member 3. Director/Deputy Secretary Ministry of Urban Affairs and Employment—Member.

Note :

1. The absence of a Member, other than the Chairman or a Member of the Union Public Service Commission shall not invalidate the proceedings of the Departmental Promotion Committee if more than half the members of the Committee had attended its meetings.

2. The proceedings of the Departmental Promotion Committee relating to confirmation shall be sent to the Commission for approval. If, however, these are not approved by the Commission, a fresh meeting of the departmental promotion committee to be presided over by the Chairman or a Member of the Union Public Service Commission, shall be held.

[F. No. 8/5/95/ECI/EWI]

B.S. MINHAS, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 — 1996

15